Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.831
Volume - 7, Issue - 02 February - 2024

DOIs:10.2018/SS/202402001 --:-- Research Paper / Article / Review

राजनीति के अपराधीकरण का महिलाओं पर प्रभाव का अध्ययन

रवि कुमार
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, डी.एस.बी. परिसर, कुमाऊँ विश्वविध्यालय, नैनीताल।
ई-मेल - ravitamta5@gmail.com

शोध सार: इस शोध पत्र में भारतीय परिपेक्ष्य में राजनीति में अपराधी तत्वों के प्रवेश के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। मुख्यतः इस अध्ययन में विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धतियों के माध्यम से राजनीति के अपराधीकरण के परिणामस्वरूप महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा गया। विभिन्न अध्ययनों में देखा गया कि राजनीति में अपराधी तत्वों के प्रवेश से महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी में कमी देखने को मिली है। जो महिलाएँ संसद और विभानसभाओं में चुनकर आती है उनकी भागीदारी भी नाममात्र की होती है। इसके अलावा महिला प्रतिनिधि और सामान्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा तथा दुराचार की घटनाओं में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। राजनीति में अपराधी तत्वों का प्रभाव स्वतंत्रता के बाद से शुरू हो गया था। कालांतर में इन अपराधी तत्वों ने संसद और राज्य विभानसभाओं में प्रवेश किया। वर्ष 2009 से 2019 के लोकसभा चुनाओं में अपराधी प्रवृति के प्रत्याशियों के प्रवेश में क्रमश: बढ़ोतरी देखने को मिली है। यदि यही अपराधियों की राजनीति में इसी प्रकार की बढ़ोतरी जारी रही तो भारत में लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ने की संभावना है। अतः सभी राजनीतिक दलों को अपराधी प्रवृति के लोगो को टिकट नहीं देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।

बीज शब्द: राजनीति का अपराधीकरण, एडीआर, नेशनल इलेक्शन वॉच, चुनाव, महिला प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र।

1. प्रस्तावना:

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और सरकार के लोकतांत्रिक रूप में, हम अपने स्वयं के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो देश के शासन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की एक स्वच्छ छवि और उच्च नैतिक चरित्र वाले हो। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए सिरदर्द बन गया है और यह अब एक कठोर वास्तविकता है। त्रिशला द्विवेदी[1] ने राजनीति के अपराधीकरण को आतंकवाद से भी ज्यादा शातिर बताया है। अपराधी प्रतिनिधि राजनीतिक दलों के भीतर अपराधियों और राजनेताओं के बीच संबंध का परिणाम है जिसके कारण भ्रष्ट हमारे नेता और नायक बन गए हैं।

भारत में राजनीति का अपराधीकरण चिंता का विषय रहा है। यह अपराधियों, कानून तोड़ने वालों और भ्रष्टाचारियों की घुसपैठ को संदर्भित करता है। राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति, तब अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग करके, देश और उसके नागरिकों की कीमत पर अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाएँगे। इस समस्या की जड़ें स्वतंत्रता के बाद के युग में खोजी जा सकती हैं जब देश अपना लोकतंत्र स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। राजनीतिक दल बढ़त हासिल करने के लिए बेताब थे। इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में, कई राजनेताओं ने आपराधिक तत्वों से चुनाव जीतने हेतु सहयोग लिया। इसने भारतीय राजनीति में अपराधीकरण तत्वों के प्रवेश को चिह्नित किया।[2]

भारत स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा तो कर सकता है, लेकिन आदर्श प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने से नहीं कर सकता। क्योंकि, चुनावों में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या में वर्षों से निरंतर और दुस्साहसी वृद्धि हुई है, चाहे वह संसद के लिए हो या राज्य विधानसभाओं के लिए जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं।[3]

मिलन वैष्णव[4] ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'व्हेन क्राइम पेय: मनी एण्ड पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स' में बताया है कि भारतीय लोकतंत्र के जन्म के बाद से माफिया चुनावी राजनीति का हिस्सा रहे हैं।

भारतीय राजनीति में अपराध और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के सह-अस्तित्व का गहन अध्ययन करने के बाद मिलन वैष्णव[5] ने प्रश्न पूछा है कि बड़े पैमाने पर आपराधिकता के साथ-साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कैसे मौजूद हो सकती हैं? राजनीतिक दल गलत काम और प्रतिष्ठा वाले उम्मीदवारों की भर्ती क्यों करते हैं? क्यों एक तिहाई राज्य और राष्ट्रीय विधायक चुने जाते हैं और अक्सर उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित होने के बावजूद फिर से चुने जाते हैं?

वीवीएलएन शास्त्री[6] ने राजनीति के अपराधीकरण को भारत के सामने प्रमुख समस्या बताया है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं की संख्या में वृद्धि हुई है जो पिछले कुछ दशकों में विधायी प्रतिनिधियों के रूप में चुने गए हैं। इससे यह सवाल उठता है कि भारतीय अपराधी राजनेताओं को क्यों चुनते हैं। भारत में अपराध के कारणों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक और जैविक में वर्गीकृत किया गया है। भारत में राजनीति का अपराधीकरण कई रूप लेता है, और इसमें चुनावी धोखाधड़ी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनीतिक उम्मीदवार चुनाव लड़ना, मतदाताओं को जुटाने में बाहुबल का उपयोग, राजनीतिक घोटाले, नौकरशाही घोटाले और आपराधिक गिरोहों की रक्षा करने वाले राजनेता शामिल हैं।

अविनाश कुमार[7] ने अपनी पुस्तक में बताया कि भारत में राजनीति के अपराधीकरण की घटना देश के लोकतंत्र के लिए नई नहीं है। भारत के बिहार राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रक्षेपवक्र तथा भूमि और जाति के सवाल के साथ इसके जुड़ाव का पता लगाता है जिसने राजनीति के अपराधीकरण को जन्म दिया है।

भारत में राजनीति के अपराधीकरण में पुलिस का राजनीतिक नियंत्रण, राज्य का पैसा, भ्रष्टाचार, कमजोर कानून, नैतिकता, मूल्यों की कमी, वोट बैंक की राजनीति और चुनाव आयोग के कार्य में कमियां शामिल हैं।[8]

राजनीति के अपराधीकरण ने विधायिका से कार्यपालिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका तक अपनी जड़ें बढ़ा ली हैं। भारत में अपराधी उम्मीदवारों का लोकसभा चुनाओं में अनुपात जो वर्ष 2009 में 30%, 2014 के चुनाव में बढ़कर 34%, तथा 2019 के चुनाव में निर्वाचित सदस्यों के संबंध में 43% के खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में चुनाव लड़ने वाले लगभग 13% उम्मीदवार जघन्य अपराधों हत्या, महिलाओं के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों का प्रयास के आरोपी हैं। यदि आपराधिक तत्वों के प्रवेश का यही प्रतिशत रहा तो 2024 में डराने वाले आँकड़े सामने आ सकते है।[9] आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले उम्मीदवारों के उच्चतम प्रतिशत के साथ सूची में सबसे ऊपर गोवा में 32 प्रतिशत, केरल में 29 प्रतिशत, बिहार में 26 प्रतिशत और झारखंड में 26 प्रतिशत है। निचले छोर पर राजस्थान में 6 प्रतिशत, हरियाणा में 7 प्रतिशत और असम में 7 प्रतिशत हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र आपराधिक मामलों के आरोपी सांसदों के उच्चतम प्रतिशत के साथ सूची में शीर्ष पर हैं।[10]

भारत में लगभग सभी दल इस बीमारी से पीड़ित हैं और यह सभी राज्यों में मौजूद है। अजीब बात है, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को सरकार द्वारा ही सबसे पहले सुरक्षा प्रदान की जाती है। राजनीति का अपराधीकरण व्यापक है और साक्षरता, विकास, जीडीपी या शहरीकरण के विभिन्न स्तरों के बावजूद सभी राज्यों में मौजूद है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग राजनेता और निर्वाचित प्रतिनिधि बन रहे हैं। ऐसी शर्मनाक स्थिति लाने के लिए राजनीतिक दल, मतदाता और देश की कानून व्यवस्था की पूरी मशीनरी समान रूप से जिम्मेदार है।

हर देश का भाग्य उसकी राजनीति पर निर्भर करता है। अपराधियों, बाहुबली लोगों, मशीनरी ने एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल बना लिया है जो अब समाज के लिए जहर भरा साबित हो रहा है। भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र की जड़ों को बर्बाद कर रहा है। राजनीति का अपराधीकरण भारत की राजनीति में एक स्थायी घटना बन गई है। यह लोकतंत्र की वास्तविक अवधारणा को नष्ट कर रहा है। कोई भी राजनीतिक दल अपने दलों में आपराधिक सदस्यों को कम करने या खत्म करने की दिशा में उपाय नहीं कर रहा है क्योंकि अंत में वे उनके लिए फायदेमंद साबित होते हैं।[11]

राजनीति के अपराधीकरण का मुख्य प्रभाव कानून और व्यवस्था पर पड़ता है। अपराधीकरण का एक और परिणाम भ्रष्टाचार है। अपराधी के साथ राजनेता पृष्ठभूमि वाले लोगों की भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने की अधिक संभावना है। आपराधिक राजनेता अपने अपराधों के लिए सजा से बचने में सक्षम हैं। राजनीति के अपराधीकरण से शासन की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं का प्रभाव देश के विकास पर नकारात्मक रूप से पड़ा हैं।[12]

सेंटर फॉर सोशल रिसर्च और संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 2003 से 2013 तक हुई हिंसक घटनाओं का विश्लेषण किया गया था। यह अध्ययन हिंसा की प्रकृति, सीमा और कारणों को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को रोकता है। इस अध्ययन में चुनाव आयोग के अधिकारियों, पुलिस, उम्मीदवारों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों सहित लगभग 800 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया। अध्ययन के अनुसार, राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा दक्षिण एशिया में बड़े पैमाने पर होती है। "राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा" अध्ययन से पता चला है कि कानूनों का अपर्याप्त क्रियान्वयन, पुलिस और न्यायपालिका से समर्थन की कमी, सामाजिक-आर्थिक विभाजन और वर्तमान सत्ता संरचना हिंसा के प्रमुख कारण हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हिंसा के डर से राजनीति में भाग नहीं लेती हैं। इन देशों में लगभग 90 प्रतिशत महिलाओं को लगता है कि हिंसा ने राजनीति में शामिल होने के उनके संकल्प को तोड़ दिया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर कानूनों की हमारी व्यापक समीक्षा से, यह स्पष्ट है कि तीनों देशों में से किसी में भी कानून नहीं है जो राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए अपराधियों से सख्ती से निपटता है।[13]

कुछ चुनी हुई महिला राजनेताओं को छोड़कर, अधिकांश निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की उनके राजनीतिक दल के भीतर महत्वपूर्ण चर्चाओं में सीमित या सीमांत भूमिका होती है। सीएसआर की निदेशक रंजना कुमारी ने कहा, "दक्षिण एशिया दुनिया की आबादी का पांचवां हिस्सा है और दक्षिण एशियाई महिलाओं का एक-तिहाई जीवन भर हिंसा का अनुभव करती है, जो दक्षिण एशियाई राजनीति की एक आम विशेषता भी है। दक्षिण एशिया में राजनीति की हिंसक प्रकृति अक्सर महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने से रोकती है।[14] महिला राजनेताओं के खिलाफ हिंसा को एक ऐसे मुद्दे के रूप में तेजी से पहचाना जाता है जो राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति को कम करता है।[15]

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने मौजूदा विधायकों, सांसदों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामले घोषित किए हैं। मौजूदा 4809 सांसदों और विधायकों में से 4763 के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 4763 (762 मौजूदा सांसद और 4001 मौजूदा विधायक) में से 134 ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है। महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित घोषित मामलों वाले 134 मौजूदा सांसदों/विधायकों में से 21 मौजूदा सांसद और 113 मौजूदा विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 26 सांसद/विधायक, महाराष्ट्र और ओडिशा में 14-14 मौजूदा सांसदो/विधायको ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है।[16] राजस्थान, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के घोषित मामलों वाले सांसदों और विधायकों की संख्या सबसे कम है।[17]

एडीआर ने कहा है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल महिलाओं के खिलाफ अपराधों, विशेष रूप से बलात्कार के मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट देते हैं और इसलिए ये नागरिकों के रूप में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में बाधा डालते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने सिफारिश की है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए।[18]

2. निष्कर्ष:

किसी भी लोकतंत्र के लिए राजनीति का अपराधीकरण एक मुख्य समस्या है। भारतीय लोकतंत्र के लिए भी संसद और राज्य विधानसभाओं में अपराधी प्रवृति के प्रत्याशियों के आने से विभिन्न समस्याएँ पैदा हुई है। इनमें से मुख्य है लोकतान्त्रिक प्रणाली के स्तर में कमी, महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी में कमी, महिलाओं सुरक्षा व सम्मान को खतरा, स्वच्छ छवि और ईमानदार लोगों का राजनीतिक प्राधिनिधित्व तक पहुँच में कमी आना आदि शामिल है। राजनीति का अपराधीकरण वर्तमान परिदृश्य में आतंकवाद से भी ज्यादा भयावह है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए विभिन्न सिफारिशे करते रहता है। भारत में लोकतंत्र के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि राजनीति में अपराधी प्रवृति के लोगों के प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। जो राजनीतिक दल इस पहल की अवहेलना करते है, उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग द्वारा सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

सन्दर्भ:

1. https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/hail-to-feminism/criminalization-of-politics-24324/
2. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-10366-an-analysis-criminalization-of-politics-in-india.html
3. पूर्वोक्त, 1.
4. वही.
5. वैष्णव, एम. (2017). व्हेन क्राइम पेयस: मनी एण्ड मसल इन इंडियन पॉलिटिक्स. यूनाइटेड किंगडम: यले यूनिवर्सिटी प्रेस.
6. शास्त्री, वी.वी.एल.एन. (2020). क्राइम एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया. आइडिया पब्लिशिंग.
7. कुमार, ए. (2015). क्रीमीनलाईजेशन ऑफ पॉलिटिक्स: कास्ट, लेण्ड एण्ड द स्टेट. इण्डिया. रावत पब्लिकेशन्स.
8. पूर्वोक्त, 1.
9. वही.
10. वही.
11. वही.
12. पूर्वोक्त, 2.
13. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/6/violence-against-womeninpolitics#:~:text=The%20study%20also%20finds%20that,their%20resolve%20to%20join%20politics
14. वही.
15. सनिन, जे. आर. (2022). क्रिमिनलाईजिंग वायलेंस अगेन्स्ट वुमेन इन पॉलिटिक्स: इनोवेशन, डिफ़्यूजन, एंड ट्रान्सफॉरमेशन. पॉलिटिक्स एण्ड जेण्डर, 18(1), 1-32. doi:10.1017/S1743923X20000173
16. https://timesofindia.indiatimes.com/india/134-sitting-mlas-mps-declared-cases-related-to-crimes-against-women-in-last-5-years/articleshow/102616058.cms?from=mdr
17. https://adrindia.org/content/‘134-mps-mlas-have-cases-crime-against-women
18. पूर्वोक्त, 15.